<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी ए/5464/2003/बांसवाडा</u>

1. शिवशंकर 2. रणछोड पुत्रगण श्री कालिया जाति पाटीदार
निवासी ग्राम सुरवानिया तहसील एवं जिला बांसवाडा

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांसवाडा

रेस्पोडेन्ट

<u>खण्ड पीठ</u>
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

<u>उपस्थित</u>
श्री सतीश पारीक अभिभाषक अपीलार्थी
श्री वी.पी. सिंह राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 13.11.18

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बांसवाडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 2–8–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के न्ययालय में तहसीलदार बांसवाडा ने एक वाद अधिनियम की धारा 175 एवं 177 के तहत प्रस्तुत कर वाद पत्र में कथन किया कि ग्राम सुरवानिया में आराजी खसरा नम्बर 609 रकबा 3बीघा 15विस्वा भूमि दिनांक 20–3–77 को नामान्तरकरण संख्या 284 द्वारा कालिया पुत्र

हीर जी पटेल के नाम अंकित किया गया है,उक्त भूमि का खातेदार कचरू पुत्र गौतम बुनकर था,जिससे भूमि अन्तरित होकर कालिया के नाम आई है। कचरू पुत्र गौतम बुनकर अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा कालिया पुत्र हीरजी पटेल स्वर्ण जाति का होने से उक्त हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रतिकूल है। इसलिये वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर सिवाय चक दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 2 कालिया का देहान्त होने पर उसके विधिक प्रतिनिधि अपीलार्थी संख्या 1 व2 को अभिलेख पर लिया गया। अपीलार्थी ने वाद पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनों से इन्कार किया तथा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा करने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर पांच तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 28–9–2001 के द्वारा तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री कर अपीलार्थी को बेदखल करने एवं भूमि को सिवाय चक दर्ज करने के आदेश पारित किये। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बांसवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 2–8–03 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का यह कथन रहा है कि वादग्रस्त आराजी सम्बत 2000 में अपीलार्थी के पिता ने काश्त योग्य बनाया तथा प्रतिवादी संख्या 1 कालिया को बतौर हाली रखा था। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत तौर पर

उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में अंकित हो गई थी। राजस्व रेकार्ड में उक्त अंकन हटाया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी ने जबाब दावे में यह भी कथन किया कि प्रतिवादी कचरू अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा हस्तान्तरण किसी भी प्रकार से अवैध नहीं है। प्रतिवादी कचरू पिता गौतम बुनकर 30 साल पूर्व फौत हो चुका था तथा वाद मृतक व्यक्ति के विरूद्ध होने से चलने योग्य नहीं है। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 कचरू पिता गौतम जाति बुनकर होना पटवारी रिपोर्ट एवं राजस्व अभिलेख में अंकित होना माना है। प्रतिवादी संख्या 1कचरू पुत्र गौतम बुनकर को अनुसूचित जाति का व्यक्ति होना माना है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित अनुसूचि में बुनकर जाति अनुसूचित जाति में शामिल नहीं है। अपीलार्थी प्रतिवादी ने जबाब दावे में प्रतिवादी संख्या 1 को अनुसूचित जाति में नहीं होना बताया है। परन्तु दोनेां अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रतिवादी संख्या 1 को अनुसूचित जाति का होना मानकर निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। इसलिये दोनेां अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त योग्य हैं। अपने कथन के समर्थन में1981 आर आर डी पेज 571,2003 आर आर टी पेज 881,2017 आर आर टी पेज 1047, ए आई आर 1996 एस सी पेज 2306,2012 आर आर टी पेज 189, 2010 आर आर टी पेज 1458,1990 आर आर डी पेज 342, ए आई आर 1969 एस सी पेज 597, ए आई आर 1954 पंजाब पेज197 की नजीरें पेश की।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि धारा 42बी का उल्लंघन होने से वादग्रस्त आराजी को सही रूप से सिवाय चक दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

6. उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के न्ययालय में तहसीलदार बांसवाडा ने एक वाद अधिनियम की धारा 175 एवं 177 के तहत प्रस्तुत कर वाद पत्र में कथन किया कि ग्राम सुरवानिया में आराजी खसरा नम्बर 609 रकबा 3बीघा 15विस्वा भूमि दिनांक 20–3–77 को नामान्तरकरण संख्या 284 द्वारा कालिया पुत्र हीर जी पटेल के नाम अंकित किया गया है,उक्त भूमि का खातेदार कचरू पुत्र गौतम बुनकर था,जिससे भूमि अन्तरित होकर कालिया के नाम आई है। कचरू पुत्र गौतम बुनकर अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा कालिया पुत्र हीरजी पटेल स्वर्ण जाति का होने से उक्त हस्तान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 के प्रतिकूल है। इसलिये वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर सिवाय चक दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 2 कालिया का देहान्त होने पर उसके विधिक प्रतिनिधि अपीलार्थी संख्या 1 व2 को अभिलेख पर लिया गया। अपीलार्थी ने वाद पत्र का प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनों से इन्कार किया तथा काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा करने की प्रार्थना की। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जबाब दावा के आधार पर पांच तनकीयात कायम की और अपने निर्णय दिनांक 28–9–2001 के द्वारा तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत वाद को डिक्री कर अपीलार्थी को बेदखल करने एवं भूमि को सिवाय चक दर्ज करने के आदेश पारित किये। जिसकी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पुष्टि की है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी प्रदर्श–2 के अनुसार ग्राम सुरवानिया के खसरा नम्बर 609 रकबा 3बीघा 15 विस्वा भूमि श्री कचरू पिता गौतम के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है। इससे कचरू के विवादग्रस्त आराजी के खातेदार होने की पुष्टि

होती है और इसमें इसकी जाति का अंकन बुनकर किया गया है और इसी दस्तावेज के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 284 दिनांक 28–3–77 के द्वारा उक्त आराजी कालिया पिता हीर जी पटेल के नाम दर्ज किये जाने का उल्लेख है। रिपोर्ट पटवारी सुरवानिया दिनांक 29–3–2000 के अनुसार विवादग्रस्त आराजी पूर्व में कचरू पिता गौतम बुनकर के नाम थी, जो अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आता है। प्रदर्श–1 परचा मौका दिनांक 28–3–2000 के अनुसार विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी के पुत्र रणछोड पिता कालिया के काबिज होने की पुष्टि होती है। उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में कचरू पिता गौतम बुनकर के नाम दर्ज थी जिसे बाद में कालिया पिता हीर जी पटेल के नाम खातेदारी में दर्ज की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 कचरू विवादग्रस्त आराजी का मूल खातेदार जाति से बुनकर है तथा बुनकर अनुसूचित जाति में आती है। जबकि प्रतिवादी संख्या 2 जाति से पटेल सवर्ण की श्रेणी में आता है। इस प्रकार जो हस्तान्तरण हुआ है वह अधिनियम की धारा 42 के प्रतिकूल है। यहां यह उल्लेखनीय है कि बांसवाडा जिले में बुनकर व बलाई जाति एक ही है जों अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित किया है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि अधीनस्थ न्यायालयों के निष्कर्ष साक्ष्य के प्रतिकूल हैं तो उच्च न्यायालय अपास्त करने हेतु सक्षम है। जैसा कि उपर विवेचन किया जा चुका है इस प्रकरण में क्रेता सवर्ण जाति का है और विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है इसलिये धारा 42 का उल्लंघन होना निर्विवाद रूप से प्रमाणित होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होता

है। इसके अतिरिक्त जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये हैं वह इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्वा नहीं होते हैं।

7. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष